अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 613(अ).— राष्ट्रपति जी, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय, मुंबई में शत्रु संपत्ति उप अभिरक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

(1) इन नियमों का नाम शत्रु संपत्ति उप अभिरक्षक (भर्ती नियम) 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान:- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं:-

उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :- वह व्यक्ति :-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, के साथ अनुबंध या विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ अनुबंध या विवाह किया है। उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्र सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. छूट प्रदान करने की शक्ति: जहां केन्द्र सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध ... किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, इन नियमों के निजी उपबंध में आदेश द्वारा छूट प्रदान कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :- यह नियम समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसरण में अ.जा. व अ.ज.जा. तथा अन्य विशेष वर्गों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण आयु सीमा में ढील तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेंगे।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड और ग्रेड पे या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
भारत का शत्रु संपत्ति उप अभिरक्षक	1* (2012) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन के अधीन	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड -3 (15600-39100 रु0) + ग्रेड वेतन 6600 रु0	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो,	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति द्वारा, जो भी हो या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	वह परिस्थितयां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।	
8	9	10	11	12	13	
लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए जाने वाले	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर	**प्रोन्नति:** वेतन बैंड-2 9300-34800 रु0 + ग्रेड	समूह 'क' डी पी सी	हर अवसर पर संघ लोक सेवा	

	व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा	वेतन 4600 रु0 में 7 वर्ष की नियमित सेवा करने वाले शत्रु संपत्ति सहायक अभिरक्षक **टिप्पण-I:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण: 2:** प्रोन्नति के लिए कम से कम अर्हकारी सेवा गिनने के प्रयोजन के लिए दिनांक 01.01.2006 जिस तारीख से 6वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा लागू हुआ, से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग के	(i) संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष / सदस्य अध्यक्ष (ii) शत्रु संपत्ति अभिरक्षक मुम्बई, सदस्य (iii) निदेशक (आर)/उप सचिव (आर) गृह मंत्रालय, सदस्य	आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।	

2896 GI/12-3

			आधार पर समकक्ष ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा। प्रतिनियुक्ति: (क) केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी: (i) जिन्होंने मूल काडर में सदृश पद धारण किए हुए हैं या (ii) वेतन बैंड -3(15600 -39100+ग्रेड वेतन 5400 रु0 में 5 वर्ष की नियमित सेवा करने वाले अधिकारी। (iii) वेतन बैंड -2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन 4800 रु0 में 6 वर्ष की नियमित सेवा करने वाले अधिकारी। (iv) वेतन बैंड - 2, (9300 - 34800) ग्रेड वेतन 4600 रु0 में 7 वर्ष की नियमित सेवा करने वाले अधिकारी। **टिप्पण-1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।			

			टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के प्रयोजन से 1 जनवरी, 2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा की गई सेवा (जिस तारीख से 6वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढांचे पर सेवा की गई) को समकक्ष ग्रेड वेतन या वतनमान में की गई सेवा जो कि वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है, इस के अतिरिक्त जहां एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमान को एक ग्रेड में सांझे ग्रेड वेतन या वेतनमान में मिलाया जाए और जहां यह लाभ केवल उन पदों के लिए हो जहां वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापित ग्रेड में हो।			

[फा. सं. 37/17/2008-ई.पी.]

एस. के. आहूजा, अवर सचिव